न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 4287-तीन/2013 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 04-01-2013 पारित द्वारा तहसीलदार, हुजूर जिला रीवा - प्रकरण कमांक 25 अ-12/2012-13

1- श्रीमती सरोज मृतक पत्नि रामराज पटैल

वारिस

1. सुश्री पूजा पुत्री रामराज पटैल 19 वर्ष
2. सुश्री पांजति पुत्री रामराज पटैल 17 वर्ष
3. सुश्री प्रार्थना पुत्री रामराज पटैल 14 वर्ष
4. अमर पुत्र रामराज पटैल 12 वर्ष

सरपरस्त पिता रामराज पटैल निवासीगण
इटौरा तहसील हुजूर जिला रीवा

2- रामराज पुत्र एस0पी0पटैल

3- राजराखन पुत्र रामयश पटैल दोनों ग्राम
इटौरा तहसील हुजूर जिला रीवा ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- महेन्द्र साहू पुत्र भगवानदीन

2- सरस तिवारी पुत्र सूर्यवली
दोनों ग्राम इटौरा तहसील हुजूर जिला रीवा

4- म0प्र0शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री शारदा प्रसाद मिश्रा)
(अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 8-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 25 अ-12/ 2012-12 में पारित आदेश दिनांक 4-1-13 के विरूद्ध म0प्र0भू राज0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि श्रीमती सरोज पटैल ने भूमि सर्वे क्रमांक 633/3 ग, रामराज पटैल ने भूमि सर्वे क्रमांक 643/2 ख, राजलखन पटैल ने भूमि सर्वे क्रमांक 643/3 क के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सीमांकन की मांग की। तहसीलदार तहसील हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 25 अ 12/12-13 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन के निर्देश जारी किये। राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी के साथ स्थल पर जाकर सीमांकन किया एंव भूमि सर्वे क्रमांक 633/3 ग, सर्वे क्रमांक 643/2 ख, भूमि सर्वे क्रमांक 643/3 क एंव 644 के संबंध में सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 28-11-12 प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार हुजूर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 25 अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 4-1-13 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि सीमांकन आवेदनों में की गई मांग पर उनके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 633/3 ग, सर्वे क्रमांक 643/2 ख, भूमि सर्वे क्रमांक 643/3 क एंव 644 मौजा इटौरा का सीमांकन राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 28-11-12 को किया है। किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर तहसीलदार हुजूर ने आदेश दिनांक 4-1-13 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्ध यह निगरानी है। आवेदकगण के अभिभाषक की आपत्ति है कि अनावेदक महेन्द्र साहू शासकीय जमीन के अतिक्रमणकर्ता को गलत ढंग से सीमांकन करके लाभ पहुंचाया गया है जिससे आवेदकगण की भूमि प्रभावित कर दी गई है । सीमांकन गलत किया गय है जिससे वह संतुष्ट नहीं है। विचार योग्य है

यदि आवेदक राजस्व निरीक्षक निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन से स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानते है एंव सीमांकन कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तब उन्हें भूमि के सीमांकन आदेश के विरूद्ध निगरानी करने के बजाय अधीक्षक भू अभिलेख / सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से वर्तमान परिमाप मशीन द्वारा सीमांकन कराने हेतु तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये, जिसके कारण उक्तांकित भूमि के हुये सीमांकन में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार जबा जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 25 अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 4-1-13 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर